भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 643

18 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों पर कोविड़-19 का प्रभाव

643: श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों की आय पर कोविड़-19 लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) सरकार द्वारा लॉकडाउन के उपायों का किसानों की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है; और

(ग) क्या कृषि संबंधी गतिविधियां करते समय किसानों के स्वास्थ्य और स्वक्ष्छता पर कोई प्रभाव नही पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को कोविड़-19 के खतरे के बारे में शिक्षित करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क)कृषि परिवारों की औसत आय के उपलब्ध नवीनतम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा अपनी 70वीं पारी (जनवरी, 2013 - दिसम्बर, 2013), संदर्भ कृषि वर्ष (जुलाई 2012-जून 2013) के दौरान आयोजित "कृषि परिवारों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण" पर आधारित है। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, सभी स्रोतों से प्रत्येक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 6,426/- रू. आकलित की गई है।

ऐसी कोई आय आकलन रिपोर्ट उपलब्ध नही है जो किसानों की आय पर कोविड-19 के प्रभाव कोदर्शाती हो।

(ख) सरकार ने कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण किसानों की आय पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए कई कल्याणकारी उपाय किये हैं। इनमें शामिल हैं:1 लाख करोड़ रूपये की'कृषि अवसंरचना निधि' का सृजन और मधुमक्खी पालन पहलों के लिए 500 करोड़ रूपए का आवंटन;'किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020' तथा 'मूल्यआश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश, 2020'नामक दो नए अध्यादेशों को लागू करना;24मार्च, 2020 के बाद से पीएम किसान योजना के तहत 40000करोड़ रूपये से अधिक किसानों के बैंक खातों में जमा करना; पीएमएफबीवाई योजना के तहत 5327 करोड़ रूपए के दावों का किसानों को भुगतान किया जाना आदि।

(ग) और (घ): कोविड-19 संकट के मद्देनजर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों एवं कृषि श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए खरीफ 2020 के दौरान फसल कटाई एवं भूसी निकालने से संबंधित एसओपी परिचालित किए है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) रबी फसलों कटाई एवं भूसी हटाने तथा फसल कटाई उपरांत भंडारण एवं कृषि उत्पादों के विपणन सहित विभिन्न कृषि प्रचालनों के लिए विस्तृत परामर्श जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, डीडी/डीडी-किसान तथा ऑल इंडिया रेडियों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग पर एक विडियो फिल्म प्रसारित/प्रदर्शित की गई है। डिजीटल प्लेटफार्मों, जैसे कि एम-किसान पोर्टल, वाट्सऐप ग्रुप्स, आनलाइन ऐप एवं एक्सपर्ट सिस्टम, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी चैनल, फेसबुक एवं अन्य आईसीटी प्लेटफार्मों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य विशिष्ट परामर्श प्रसारित किए गए।

*****